<u>उत्तर प्रदेष सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।</u>

परिपत्र सं0– 13 /तक0 प्रकोष्ठ/2017–18 दिनांक–25.04.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
<u>उत्तर प्रदेश।</u>

विषय–**<u>नाबार्ड द्वारा संचालित अनुदानित ई0डी0ई0जी0 घटक व डी0 ई0 डी0एस0 योजनाओं में बैंक की शाखाओं द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के सम्बंध में</u>** ।

नाबार्ड के माध्यम से चलायी जा रही अनुदानित योजनाओं में शाखाओं द्वारा किए जा रहे ऋण वितरण सम्बंधी प्रस्तावों को प्रधान कार्यालय को नाबार्ड से अनुदान अवमुक्त कराने हेतु प्रेषित किए जा रहे है। उपरोक्त प्रस्ताव प्रधान कार्यालय को समय से नही प्राप्त कराये जा रहे है। प्रस्तावों में यूनिट साइज, कुल वित्तीय परिव्यय, मार्जिन मनी, बैंक लोन तथा अनुदान आदि का आगणन त्रुटिपूर्ण अंकित किया जा रहा है जिससे शाखाओं द्वारा प्रेषित प्रस्तावों को नाबार्ड को अनुदान अवमुक्त हेतु प्रेषित किए जाने में त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है और विलम्ब होता है। जबकि संदर्भित योजनाओं में पूर्व में ही नाबार्ड के नियमानुसार अनुदान अवमुक्त के सम्बंध में परिपत्र समय–समय पर प्रेषित किया जाता रहा है। पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रधान कायीलय द्वारा पूर्व में निर्गत परिपत्रों के अनुसार समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अनुदान के निर्धारित प्रारूप पर समयबद्व तरीके से प्रधान कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

अनुदान की सूचना विलम्ब से अथवा त्रुटिपूर्ण प्रेषित किए जाने से कृषक को जो ब्याज का नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी शाखा प्रबन्धक की होगी। अतः शाखा प्रबघंक स्वंय समय से पूर्ण प्रारूप भरकर ही कार्यालय को अनुदान अवमुक्त कराने हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ह0–
(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीहेतु प्रेषित–

1.समस्त जनपदीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति अपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2.उप महाप्रबंधक(आई0टी0 सेल) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

ह0–
(अजय पाल सिंह)
महाप्रबंधक(तक0)